.कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / एफ.21 / स्था. / 2012 /

दिनांक :: अगस्त, 2012

कार्यालय आदेश

जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं संधारित किये जा रहे सडक मार्गों के मरम्मत कार्य का सतत पर्यवेक्षण एवं मोनेटरिंग आवश्यक है। चालू वर्ष में वर्षाकाल शुरू हो चुका है और लगातार वर्षा के कारण प्राधिकरण द्वारा निर्मित एवं संधारित सडकों में अनेक स्थानों पर पानी भरने के कारण गढ्ढे हो चुके हैं। कई स्थानों पर सडक मार्ग मोटरेबल भी नहीं रहा है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक विचाराधीन जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान नाराजगी भी प्रकट की है। अतः उक्त सडक मार्गों के समुचित संधारण एवं आवश्यक होने पर तत्काल मरम्मत की दृष्टि से निम्न अनुसार निर्देश दिये जाते हैं:–

1– अधिशाषी अभियन्तागण अपने क्षेत्र में स्थित सभी सडक मार्ग के पैच मरम्मत कार्य एवं समुचित संधारण के लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे। इसके लिए संबंधित अधिशाषी अभियन्ता अपने अधीनस्थ सहायक अभियन्ताओं के मध्य सडक मार्गों का नामजद कार्य विभाजन कर जिम्मेदारी देंगे एंव उसकी प्रति सचिव प्राधिकरण एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करेंगे। उक्त उत्तरदायी सहायक अभियन्तागण एवं संबंधित संवेदक की सूची मय नाम व दूरभाष नम्बर प्राधिकरण की वेब–साईट व समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित करवाये जावे। साथ ही संबंधित सहायक अभियन्ता के क्षेत्र में कम से कम 3 सहज दृश्य स्थानों पर सूचना पट्ट लगाये जावे ताकि आम नागरिक संबंधित सहायक अभियन्ता एवं संवेदक को सीधे अवगत करा सके। सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्राप्त शिकायतें / परिवाद / सूचनाओं के संबंध में पृथक से रजिस्टर का संधारण किया जावेगा जिसमें शिकायत के निराकरण के लिए उनके द्वारा की गयी कार्यवाही का अंकन किया जावे।

2– उक्त अनुसार पैच वर्क व रिपेयर कार्यो के निष्पादन की साप्ताहिक समीक्षा निदेशक–अभियांत्रिक द्वारा की जावेगी एवं निदेशक–अभियांत्रिक सहायक अभियन्तावार विवरण तेयार कर सचिव एवं आयुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

3– प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित विभिन्न सड़कों की टूटफूट, मरम्मत, पानी भरने एवं पेच मरम्मत आदि के संबंध में संबंधित उपायुक्त एवं तहसीलदार को निरीक्षण अधिकारी निम्नानुसार अधिकृत किया जाता है:–

क्र.सं.	संबंधित उपायुक्त / तहसीलदार	जोन	संबंधित क्षेत्र	विशेष विवरण
1–	श्रीमती सीमा कविया, उपायुक्त–पूर्व	पूर्व	संपूर्ण क्षेत्र जोन पूर्व	
2–	श्री महेन्द्रसिंह, उपायुक्त– पश्चिम	पश्चिम	जोन पश्चिम में सिवांचीगेट से आखलिया चौराहा से चौपासनी से जैसलमेर रोड का बांया भाग	
3–	श्री नारायण सिंह पुरोहित, तहसीलदार	पश्चिम	जोन पश्चिम में सिवांचीगेट से आखलिया चौराहा से चौपासनी से जैसलमेर रोड का दायां भाग	
4–	डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त– उत्तर	उत्तर	जोन उत्तर में पावटा से मण्डोर से औसियां रोड का बांया भाग	
5–	श्री हनुमानसिंह राठौड, तहसीलदार	उत्तर	जोन उत्तर में पावटा से मण्डोर से औसियां रोड का दांया भाग	

6–	श्री भागीरथ विश्नोई, उपायुक्त– दक्षिण	दक्षिण	जोन दक्षिण में जोधपुर – पाली रेलवे मार्ग का बांया भाग	
7–	श्री नारायण राम इंदालिया, तहसीलदार	दक्षिण	जोन दक्षिण में जोधपुर – पाली रेलवे मार्ग का दांया भाग	

4– उक्त अनुसार अधिकारीगण अपने क्षेत्र में स्थित सडक मार्गों के कार्यों की प्रगति एवं मौके की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण कर निम्न प्रपत्र में रिपोर्ट सचिव प्राधिकरण को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही संबंधित अधिशाषी अभियन्ता एव सहायक अभियन्ता को निरीक्षण के दौरान वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। उक्त अधिकारीगण के निरीक्षण के समय सहायक अभियन्ता साथ ही रहेंगे।

क.सं.	अधिकारी का नाम	क्षेत्र	निरीक्षण किये गये कार्यों के संबंध में विवरण			
			क.सं.	सडक मार्ग का विवरण जिनका निरीक्षण किया गया	चिन्हित की गई कमियों का विवरण	संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा की गई कार्यवाही

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक / एफ.21 / स्था. / 2012 / 3642-51 दिनांक :: 21, अगरत, 2012

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव (अध्यक्ष / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. निदेशक–अभियांत्रिक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री हनुमानसिंह / श्री नारायणराम इंदालिया / श्री नारायण सिंह पुरोहित, तहसीलदार, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री .... अधिशाषी / सहायक / कनिष्ठ अभियन्ता, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. ....

आयुक्त
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर